प्रक. 17/2019 अपील विरुद्ध नामांतकरण

(आनन्दी [illegible] वगैरह [illegible] बनाम [illegible]) अपीलेन्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट वकील बहस पर मनन किया। अपील प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/7/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

रण संख्याः– 12/2019
रण दायर दिनांकः–27.08.2019
रण निर्णय दिनांकः– 23.07.2024

उनवान

ाम जनता कीरतपुरा जरिये मूलचंद पुत्र गंगाराम सैनी
बूलाल पुत्र हरसहाय सैनी
खपाल पुत्र अर्जुनराम सैनी
ोपाल पुत्र रामहेत बैरवा
जाति सैनी (माली) निवासी कीरतपुरा तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

ग्राम पंचायत अरनिया पंचायत समिति बॉदीकुई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया

अपील विरूद्ध नामान्तकरण

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध आदेश दिनांकः 23.07.1976 बाबत नामान्तकरण सं. 163 ग्राम कीरतपुरा ग्राम पंचायत अरनिया तह. बसवा जिला दौसा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं. 2517 रकबा 342 बीघा 15 बीस्वा तन मौजा कीरतपुरा व अन्य कृषि काबिज सिवायचक भूमि स्थित थी। तत्कालीन खसरा नं. 2517 व अन्य भूमिया खसरा नं. 2511, 2512, 2518 खसरा नं. 42, 53 सहित 1114 बीघा 7 बिस्वा भूमि तन मौजा कीरतपुरा में दिनांक:23.07.1976 से पूर्व सिवायचक भूमि थी। आराजीयात पर अपीलांट व अन्य ग्राम वासियान कीरतपुरा, अरनिया, झाडला, हरसोरा के बाशिन्दागण का कब्जाकाश्त चला आ रहा था। आराजी को लेवल कर कृषि कार्य के उपयोग ली जा रही थी। आराजी पशुओं की चराई के कतई काम नहीं आ रही थी। आराजी उबड खाबड बीहड टीलों नलों की भूमि जिसको सुधरवाकर पचास साठ वर्ष से उपयोग में ली जाती रही है। आम जनता कीरतपुरा अरनिया का निवासी कृषि कार्य की भूमि का ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा बेजा रूप से नामान्तकरण सिवायचक से चारागाह में कर दिया गया जबकि भूमि कभी भी चारागाह के उपयोग की नहीं रही बिना जॉच किये बिना अपीलांट व्यथित पक्षकारान को सुने उज्र एतराज लिये बिना ही बेजा नामान्तकरण ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा तस्दीक फरमाया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश बाबत नामान्तकरण सं. 163 दिनांकः 23.07.1976 विरूद्ध विधि विधान होने की गर्ज से गलत है काबिज खारिज है। नामान्तकरण आज्ञा सिवायचक से चारागाह परिवर्तन की बाबत जारी की गई है। सिवायचक से चारागाह किस्म परिवर्तन के अधिकार ग्राम पंचायत को कतई नहीं थे ना ही तहसीलदार को अधिकार थे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर आराजियात की बाबत जारी नामान्तकरण आज्ञा दिनांकः 23.07.76 खारिज फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट जर्ये नोटिस विधिवत की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने अपीलान्ट वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 163 ग्राम कीरतपुरा से वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण सिवायचक से चारागाह में दर्ज हुआ है। अपील में वर्णित भूमि नामान्तकरण से पूर्व सिवायचक रही थी यह तथ्य तो उक्त नामान्तकरण से साबित है। अपीलान्ट का कब्जा काश्त उक्त भूमि में नामान्तकरण से पूर्व किस प्रकार रहा है यह अपीलान्ट साबित नहीं कर पाये हैं। वादग्रस्त भूमि नामान्तकरण से पूर्व भी तथा वर्तमान में भी राजकीय भूमि है। जो सरकार के स्वामित्व की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट का कोई अधिकार निहीत होना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलान्ट वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

23/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई